

018/0

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

भकरी

बहक

श्री *महेन्द्र सिंह भकरी*
पुत्र श्री *सुरेश सिंह* नि *हरनावापट्टी*
जाति *राजपूत*
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. *22* / 2018

निर्णय दिनांक *13/3/19*

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम *शील भकरी* खसरा नम्बर *387*
रकबा *2.43* हैक्टर किरम *नादी* (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री *महेन्द्र सिंह*
भकरी पुत्र श्री *सुरेश सिंह* जाति *राजपूत* निवासी *हरनावापट्टी* जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा *डोल लगा* कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी

को नोटिस नाकिल किये गए। एवं डाडु द्वारा
नोटिस भेजा, अप्रार्थी के पते एवं कृषि क्षेत्र स्थल पर
श्री नोटिस चस्पानगी कीजयी अप्रार्थी अडु पर स्थित रट्टर
कैपाब पेश करी।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम *शील भकरी*
ख.न. *387* रकबा *2.43* किरम *नादी* पर संवत् 2075 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर *डोल लगा* कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया *600* का 50 गुणा रूपया *729* (रूपये *729*) शारित कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का *भकरी* निर्णय की
वागौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भू. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक *13/3/19* का सरे इजलास सुनाया।

बंजिका नं वय *2019-20* के पृष्ठ सं *54*
पत्र सं *729* *19* की
मांग दर्ज की गई।

Uan

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

तहसील राजस्व लेखाकार